तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
27/5/24	आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई वकील प्रार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादीगण श्योकरण द्वारा प्रस्तुत वाद नाहक प्रतिवादीगण को परेशान करने झुठा दावा पेश करके ब्लेकमेल करके भूमि हडप करने के उदेश्य से पेश किया गया है चुकि दावे पूर्व में भी वादी इनके परिवार द्वारा किये जा चुके है तथा फर्जी तामिल करवाकर एक पक्षीय कार्यवाही डिक्री भी करवा रखी है उसी से प्रोत्साहित होकर मौजुदा दावा पेश किया है पूर्व में श्योकराण जो वाद में वादी हे ने एक दावा श्योकरण बनाम चौधरीराम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में पेश किया था जो स्थानान्तरण होकर हनुमानगढ उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में पत्रावली ले गया जहॉ एक पक्षीय समस्त प्रतिवादीगण के विरूद्व करवाकर 2 बीधा 10 बिश्वा भूमि शामिल खाते की बिना विधिक अधिकार के ही डिक्री करवा ली जिसकी अपील प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रेमप्रकाश बनाम श्योकरण विचाराधीन है इसप्रकार वादी फर्जी दावा करने का आदि है वादी के द्वारा हस्तगत वाद विधि के अनुसार चल नही सकता क्योकि सुखाधिकार या प्रतिकुल कब्जा के आधार मानकर खातेदारी का दावा किसी खातेदार के विरूद्व कानूनन नही किया जा सकता है तथा मौजूदा वाद शामिल खाता की भूमि पर विशेष हिस्सा की भूमि पर कब्जा मानकर दावा पेश किया गयाहे जो विधिक विरूद्व है जब तक खाता विभाजन नही होता तब तक सयुक्त खाता की भूमि पर मोजुदा इस्तदुआ का दावा नही चल सकता है वादी को वाद लोने का कोई विधिक अधिकार नही है अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे। वादी /अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण रेसोनेबल ग्राउण्ड पर आधारित नही है प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के कोई इनग्रेडस पेरे नही होतते है उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के प्रतिवादित सिद्वान्तों के अनुसार प्रतिकुल कब्जा के आधार पर घोषात्मक दावा लाया जा सकता है लिमीटेशन एक्त सेक्सन 28 के अनुसार कब्जा के आधार पर वाद पेश किया जा सकता है तथा वादी अप्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि के कब्जा के आधार पर खातेदार काश्तकार है वादी का रोही मौजा चक 23 एनटीआर के प0न0 340/425 (35) किला न0 20 /0.253है भूमि वादी अप्रार्थी के पिता रामूराम के सम[illegible]ब्जा काश्त में चली आ रही है पहले अप्रार्थी के [illegible] में थी वर्तमान में वादी के कब्जा काश्त में च[illegible] वादी प्रतिकुल कब[illegible] आधार पर खातेदार काश्तकार हो चुके [illegible]वादी अप्रार्थी का वाद 2013 से चल रहा है तथा प्रतिवादीगण का जबाब आ चुका है वाद में तनकीयात कायम की जाकर दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:29:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

जाकर तनकी वाईज निर्णय किया जाना उचित है सरसरी प्रार्थना पत्र के आधार पर वादी का वाद खारिज नही किया जा सकता है प्रकरण में तथ्यो व विधि का मिश्रित प्रश्न अन्तनिर्हित है खातेदारी अधिकार अधरझूल में नही रह सकते एक पक्ष से समाप्त होकर दुसरे पक्ष में समाहित हो जाते है वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्रतिकुल कब्जा के आधार पर 12 वर्षो से ज्यादा समय तक वादी अप्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादीगण व उससे पूर्व उनके पूर्वजों के कब्जा काश्त में रहने के कारण वादी / अप्रार्थीगण को प्रतिकुल कब्जा लगातार बना हुआ है सरसरी प्रार्थना पत्र के आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के आधार पर वाद खाजिर नही किया जा सकता है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया

प्रार्थी / प्रतिवादी का कथन है वाद भूमि सयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें वादी ने प्रतिकुल कब्जा के आधार पर अपने हकों की घोषणा करवाने का वाद पेश किया गया है प्रतिकुल कब्जे के आधार पर वर्तमान वाद पोषणीय नही है प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

वादी / अप्रार्थी का कथन है कि वाद भूमि वादी के पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त में चली आ रही है प्रतिकुल कब्जा के आधार पर वादी वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है तथा तनकी कायम की जाकर वाद का निस्तारण फरमावे।

पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है यह कथन वादी / अप्रार्थी एवं प्रार्थी / प्रतिवादी दोनो पक्षों के द्वारा स्वीकार किया गया है

वादी के वाद के अवलोकन करने पर पाया की वादी के वाद के अनुतोष क में अराजी जरई खाता सख्या 26 / 20 के प0न0 340 / 425 (35) के किला न0 20 / 0.253हैक रोही मौजा चक 23 एनटीआर अंकित किया है तथा अनुतोष ग में खाता संख्या 26 / 20 प0न0 340 / 429(35) के किला न0. 20 / 0.253हैक अंकित किया गया है अर्थात वादी ने अनुतोष में भी भिन्नता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार वाद भूमि मुश्तरका खातें में दर्ज है जिसे वादी एव प्रतिवादीगण दोनो ने स्वीकार किया है मुश्तरका खाते की भूमि पर प्रत्येक सहकाश्तकार का प्रत्येक इंच पर कब्जा होता है मुश्तरका खाते की भूमि का जब तक सहखातेदारों के हक हिस्सा के अनुसार खाता विभाजन नही हो जाता तब तक कोई भी सहखातेदार मुश्तरका खाते के किसी विशेष हिस्से पर अपना कब्जा काश्त का दावा नही कर सकता है।

वादी ने अपने वाद में मुश्तरका खाते की विशेष हिस्सा अर्थात किला न0 20 पर अपना कब्जा काश्त होने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का वाद पेश किया गया है जबकि वाद में वर्णित भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है उपनिवेशन क्षेत्र में स्थित भूमि के खातेदारी अधिकार उपनिवेशन नियमों के तहत दिये जा सकते है प्रतिकुल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:29:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिका
नोहर

वादी ने अपने वाद के समर्थन में न्यायियक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हे जो पुराने है वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार कोई भी काश्तकार प्रतिकुल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है प्रतिवादी/प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत न्यायियक दृष्टान्त डीएनजे 2022 पेज 1468 प्रस्तुत किये गये है जो नवीनतम है जिसमें अंकित किया गया है कि प्रतिकुल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नही है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी ने मुश्तरका खाते की भूमि के विशेष हिस्से पर अपना प्रतिकुल कब्जा पिछले 12 वर्षो से अधिक समय से होने के कारण खातेदारी अधिकार दिये जाने का वाद पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है क्योकि प्रथम तो मुश्तरका खाते की भूमि पर जब तक खाता विभाजन नही हो जाता तब तक प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त होता है किसी विशेष हिस्से पर कब्जा काश्त नही माना जा सकता है द्वितीय मुश्तरका खाते की भूमि में प्रतिकुल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का कोई प्रावधान नही है तथा वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है अर्थात वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित है वादी का वाद मुश्तरका खाते की भूमि में प्रतिकुल कब्जा के आधार पर पेश करने के कारण चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र/वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:29:15 IST
Reason: SelfAttested